

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /

नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 2021

विषय- चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या-08बी/यूपी/06/221/2021/एफसी/403 दिनांक 21.09.2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संलग्न पत्र दिनांक 21.09.2021 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या/तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आर0 पी0 सिंह)

अनु सचिव।